

अरुणेन्द्र सिंह चौहान,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

सचिव,

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग,
देहरादून, उत्तराखण्ड।

कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-6

विषय: उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग के कार्यालय भवन निर्माण हेतु धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।

देहरादून: दिनांक 18 मार्च, 2021

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0-1381/XLIII(1)/18-20(09)/16 दिनांक 21.11.2016 द्वारा उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग के कार्यालय भवन निर्माण हेतु विभागीय टी0ए0सी0 द्वारा अनुमोदित लागत रू0 498.23 लाख की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किस्त के रूप में 50.00 लाख, शासनादेश सं0-238 दिनांक 03.05.2017 द्वारा द्वितीय किस्त के रूप में 50.00 लाख, शासनादेश सं0-561 दिनांक 05.09.2017 द्वारा तृतीय किस्त के रूप में 100.00 लाख, शासनादेश सं0-53 दिनांक 21.02.2018 द्वारा चतुर्थ किस्त के रूप में 50.00 लाख, शासनादेश सं0-138 दिनांक 08.06.2018 द्वारा पंचम किस्त के रूप में 100.00 लाख, शासनादेश सं0-186 दिनांक 12.10.2018 द्वारा छठी किस्त के रूप में रू0 100.00 लाख एवं शासनादेश सं0-74 दिनांक 03.07.2019 द्वारा सातवीं किस्त के रूप में 25.00 लाख अर्थात् उक्त कार्य हेतु कुल रू0 475.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग के कार्यालय भवन निर्माण हेतु पूर्व स्वीकृत आगणन रू0 498.23 लाख के अतिरिक्त बरसाती पानी से भवन की सुरक्षा हेतु सुरक्षा दीवार, पुलिया, मिनी ट्यूबवैल, डी0जी0 सेट तथा नेटवर्किंग अतिरिक्त कार्यों हेतु उपलब्ध कराये गये आगणन की धनराशि रू0 48.49 लाख के सापेक्ष शासनादेश सं0-194 दिनांक 06.03.2019 द्वारा प्रथम अनुपूरक के माध्यम से प्रथम किस्त के रूप में 25.00 लाख एवं शासनादेश सं0-81, दिनांक 08.09.2020 द्वारा द्वितीय किस्त के रूप में 23.00 लाख अर्थात् उक्त कार्य हेतु कुल रू0 48.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

इस सम्बन्ध में आपके पत्र सं0-278/21-03(37)/2017 दिनांक 10.03.2021 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग के कार्यालय भवन निर्माण एवं अतिरिक्त कार्यों हेतु वर्तमान में शेष रू0 23.72 लाख की धनराशि मुख्य आयुक्त, सेवा का अधिकार आयोग के निर्वर्तन में रखते हुए निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक की वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 292/9(150)-2019/XXVII(1)/2020 दिनांक 31 मार्च 2020, तथा तत्संबंधी निर्गत शासनादेशों में इंगित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अनुसार कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
2. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें, तकनीकी दृष्टि को मद्देनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।
3. कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता (कार्य की आवश्यकतानुसार) से कार्य स्थल का भली-भांति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाए तथा निरीक्षण के पश्चात् दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाए।

4. शासनादेश सं०-475/XXVII(7)2008 दिनांक 15.12.2008, 640/XXX-01-(2)2011 दिनांक 12.12.2011 एवं शासनादेश सं-1638/XXX-01-12(25)2011 दिनांक 08.12.2011 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाए। कार्यदायी संस्था से निर्धारित अनुबन्ध एवं वेबसाइट पर Suo-moto सूचनाओं के प्रदर्शन का अनुबन्ध सम्पादित किया जाए।
5. यदि विभिन्न मदों हेतु स्वीकृत धनराशि अवशेष रहती है तो उक्त धनराशि द्वितीय चरण के आगणन में समायोजित की जाये।
6. कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
7. किसी भी दशा में धनराशि का व्यवर्तन न किया जाए।
8. किसी भी दशा में स्वीकृत आगणन पुनरीक्षित नहीं किया जायेगा, अतः कार्य समय से पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
9. समय-समय पर निर्माण से सम्बन्धित एवं अन्य सुसंगत वित्तीय नियमों का यथावश्यक अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
10. किसी भी बिन्दु पर अस्पष्टता या भ्रम की स्थिति में शासन से मार्गदर्शन अनिवार्य रूप से प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
11. उक्त धनराशि वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय व्यय के अनुदान सं०-06 के लेखाशीर्षक 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय 60-अन्य भवन 051-निर्माण 13-उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग के भवन निर्माण के संगत मद 53 वृहत् निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि से वहन की जायेगी।
12. वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्यय हेतु धनराशि आवंटन सम्बन्धी अलोटमेंट आई० डी०-S21030060034 की प्रति संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नक:यथोपरि।

भवदीय

(अरुणेन्द्र सिंह चौहान)
अपर सचिव

सं०-169/XXX(6)/21-20(09)/16 तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम), उत्तराखण्ड देहरादून।
2. निदेशक, वित्तीय डाटा सैन्टर, 23, लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
3. मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
4. साइबर ट्रेजरी, 23, लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
5. वित्त अनुभाग-1 एवं 5
6. गार्ड फाइल।

(अरुणेन्द्र सिंह चौहान)
अपर सचिव।